

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र0-06-रा0का0-II-02/2013 4037 /खाद्य,पटना/दिनांक 16.08.17

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड खो जाने/जल जाने के बाद Duplicate राशन कार्ड निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में ।

प्रसंग :- भारत सरकार का पत्रांक 24-बिहार/2015-पी.डी0 2 दिनांक 12.06.2015 तथा विभागीय पत्रांक रा0का0-II-02/2013-6488 दिनांक 14.08.2015


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ऐसे पात्र लाभुक परिवार जिनका राशन कार्ड राज्य में आई बाढ़ एवं अन्य कारणों से खो गया है अथवा जल गया है को द्वितीयक (Duplicate) राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन पत्र सं0- 24-बिहार /2015-पी.डी.-2 दिनांक 12.06.2015 की छायाप्रति अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है ।


अतः अनुरोध है कि राज्य में आई बाढ़ के कारण बेघर हुए वैसे लोगों का जिनका राशन कार्ड खो गया है का सत्यापन कराते हुए नियमानुसार नया राशन कार्ड निर्गत करने की कृपा की जाय ।

अनु0:-यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


सरकार के सचिव ।


ज्ञापांक- प्र0-06-रा0का0-II-02/2013 4037 /खाद्य,पटना/दिनांक 16.08.17
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र0-06-रा0का0-II-02/2013 4037 /खाद्य,पटना/दिनांक 16.08.17
प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

375



फाइल सं. 24-बिहार /2015-पी डी 2

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली . 110001

दिनांक 12 जून 2015

सेवा में,

सचिव,

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,

बिहार सरकार,

पटना ।

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुर्विकताप्राप्त परिवारों का राशन कार्ड खो जाने / जल जाने के बाद Duplicate राशन कार्ड निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।

महोदय,

आपका दिनांक 27-05-2015 का पत्र जो कि इस विभाग को दिनांक 03-06-2015 को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करें। इस विभाग को आपका दिनांक 12-01-2015 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आपने अपने पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुर्विकताप्राप्त परिवार, जिनका राशन कार्ड खो गया है / जल गया है, को Duplicate राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में मार्गदर्शन के बारे में है।

पूछा

2. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (अर्क संलग्न) के अंतर्गत खंड 4 (15) में राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वह विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड उस खंड में दिये हुए निर्देशों के आधार पर जारी कर सकती है।

भवदीय

(सुनील चौहान)

(सुनील चौहान)

अवर सचिव (पी डी 2)

1674
22-12/06/15
18/6

20-06

506
23/6/15
54/6/15

9/6
24/6/15